

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-853/10

संस्थित दिनांक-24.12.2010

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

विनोद शर्मा उर्फ विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप, उम्र 50 साल

निवासी- भदरौली, थाना मौ, जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

--: निर्णय :-

{आज दिनांक 23.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 224 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.12.2010 को सुबह 06:15 बजे स्थान थाना प्रांगण मौ में आपको पुलिस द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 131/10 धारा 353, 294, 186, 506 बी में विधिवत रूप से गिरफ्तार कर बंद हवालात किया था लेकिन आपने विधिपूर्ण अभिरक्षा से थाने पर उपस्थित हवलदार को धक्का देकर निकल भागने का अपराध कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ के अपराध क्रमांक 131/10 अंतर्गत धारा 353, 294, 186, 506बी भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त विनोद को दिनांक 06.12.2010 को शाम 05:00 बजे समक्ष साक्षीगण गिरफ्तार किया गया और आकर उसे थाने के लॉकप में बंद किया गया। दिनांक 07.12.2010 को सुबह करीब 06:15 बजे उक्त अभियुक्त द्वारा पहरा दे रहे आरक्षक मनोज कुमार से शौच के लिए जाने को कहा, तब आरक्षक अभियुक्त को शौच के लिए ले जाने लगा। उस समय जगदीश स्वीपर तथा एचसीएम थाने में मौजूद थे। अभियुक्त आरक्षक मनोज को धक्का देकर एचसीएम कार्यालय होकर कस्बा मौ तरफ भाग गया। कोहरा एवं धुंध होने से अभियुक्त फरार हो गया था। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 145/10 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या दिनांक 06.12.2010 को अभियुक्त को अपराध क्रमांक 131/10 अंतर्गत धारा 353, 294, 186, 506बी भा0द0वि0 के अधीन विधिवत् गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया था?
2. क्या अभियुक्त दिनांक 07.12.2010 को सुबह 06:15 बजे विधिवत अभिरक्षा से थाने में उपस्थित आरक्षक को धक्का देकर भाग निकला?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मनोज कुमार अ0सा0 1, जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 2, जगदीश अ0सा0 3 एवं शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष**

6. प्रकरण में फरियादी तत्कालीन निरीक्षक जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 02 हैं, जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 07.12.2010 को थाना मौ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनके द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 131/10 अंतर्गत धारा 353, 294, 186, 506-बी भा0द0वि0 में गिरफ्तार अभियुक्त विनोद शर्मा पुत्र रामस्वरूप आयु 44, निवासी ग्राम भदरौली, जिसे प्रधान आरक्षक शिवदत्त द्वारा दिनांक 06.12.2010 को 17:00 बजे अर्थात् शाम के 05:00 बजे गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया था और अभियुक्त को दिनांक 07.12.2010 को न्यायिक हिरासत हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 हैं, जो इस प्रकरण के भी विवेचक हैं, वे कथन करते हैं कि उनके द्वारा दिनांक 06.12.2010 को उक्त अपराध क्रमांक में दिनांक 06.12.2010 को अभियुक्त के संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 180 लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्र0पी0 04 के रोजनामचा सान्हा में उल्लेखित है कि अभियुक्त को अपराध क्रमांक 131/10 में आवश्यकता होने से साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर उसके परिजन भाई दिनेश शर्मा को गिरफ्तारी की सूचना दी गई और अभियुक्त को थाना वापस आकर हवालात में पहरा दे रहे संत्री के हवाले किया। इस प्रकार से शिवदत्त शर्मा द्वारा अभियुक्त के दिनांक 06.12.2010 को अपराध क्रमांक 131/10 में गिरफ्तार कर विधिवत अभिरक्षा में न्यस्त किए जाने का अभिकथन किया है।

07. आरक्षक मनोज अ0सा0 01 यह कथन करते हैं कि दिनांक 06.12.2010 को वे थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनके अलावा पहरा ड्यूटी पर आरक्षक श्यामसिंह, आरक्षक कृष्णकुमार की भी ड्यूटी थी और प्रत्येक संत्री की ड्यूटी 6 घण्टे बाद आती थी। उसकी ड्यूटी रात 09 से 12 बजे थी, उस समय हवालात में अभियुक्त विनोद था और सुबह 06:00 बजे जब उसने

पहरा ड्यूटी में तैनात आरक्षक श्यामसिंह से पहरा तब्दली किया, उस समय भी आरोपी हवालात में बंद था। इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा भी अभियुक्त के अभिरक्षा में होने के संबंध में कथन किया है।

08. अभियुक्त की ओर से प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रधान आरक्षक शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 के द्वारा गिरफ्तारी पत्रक, जिसमें अभियुक्त को अभिरक्षा अधीन होना बताया गया है, उसे प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसे में अभियुक्त के अभिरक्षा में होने के संबंध में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 06.12.2010 को संबंधित अपराध क्रमांक 131/10 में अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे हवालात में बंद किया था। साक्षी द्वारा इस संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 180 उसके द्वारा लेख किया जाना बताया गया है और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। प्रकरण में प्र0पी0 04 उक्त रोजनामचा सान्हा की नकल है, जिसके द्वारा अभियुक्त के उक्त अपराध क्रमांक में अभिरक्षा में बंद किए जाने के संबंध में कथन किया गया है। साक्षी द्वारा स्वयं रोजनामचा सान्हा की नकल को प्रमाणित किया गया है। ऐसे में अभियुक्त के उपरोक्त अपराध क्रमांक 131/10 में अभिरक्षा अधीन होने के संबंध में साक्षीगणों के कथनों की पुष्टि प्र0पी0 04 के दस्तावेजों से भी होती है। ऐसे में अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक प्रकरण में प्रस्तुत न किए जाने से उसके प्रमाणित न होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त दिनांक 06.12.2010 को शाम 06:05 बजे अपराध क्रमांक 131/10 में गिरफ्तार कर थाना मौ के लॉकप में विधिवत अभिरक्षा में लिया गया था।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष

09. प्रकरण में साक्षी मनोज अ0सा0 01 यह कथन करते हैं कि दिनांक 07.12.2010 को सुबह 06:00 बजे उन्होंने आरक्षक श्यामसिंह से पहरा तब्दली किया था और अभियुक्त ने सुबह 06:15 बजे उनसे कहा कि शौच के लिए जाना है, तब साक्षी ने हवालात खोलकर उसे बाहर निकाला और शौचालय की तरफ ले जाने लगा। उस समय थाने का स्वीपर जगदीश सफाई कर रहा था। एचसीएम दरवाजे के पास आते ही अभियुक्त ने साक्षी को धक्का दे दिया और एचसीएम कार्यालय होकर कस्बा मौ तरफ भाग गया था। इसके बाद साक्षी ने और रात्रि मुंशी लालजी त्रिपाठी स्वीपर जगदीश ने अभियुक्त का पीछा किया लेकिन कोहरा एवं धुंध के कारण उसे पकड़ा नहीं जा सका। तब उन्होंने उक्त बात एचसीएम सुरेश सिंह भदौरिया को जाकर उनके कमरे में बताई थी। घटना का अन्य साक्षी जगदीश अ0सा0 03 है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं। कि वह थाने में सफाई का काम कर रहा था। थाने पर थाना प्रभारी जुमनानी अपने क्वार्टर में थे। कुल(कई) पुलिस वाले थाने पर थे। एक पुलिस वाला लॉकप में बंद व्यक्ति को लैट्रिंग कराने ले जा रहा था तो धक्का

देकर वह भाग गया। साक्षी भागने वाले व्यक्ति का नाम ज्ञात न होने और उसे पहिचानने के संबंध में इंकार करता है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है कि वह घटना दिनांक को जब झाड़ू लगा रहा था, तब सिपाई मनोज ने उसे बताया कि मुलजिम भाग गया है और यह भी स्वीकार करता है कि वह, सिपाई मनोज व मुंशी कस्बा मौ में देखने को गए थे तो कोहरा व धुंध होने से मुलजिम नहीं मिल पाया था, किंतु यह तथ्य ध्यान न होना बताता है कि भागने वाले व्यक्ति का नाम विनोद शर्मा भदरौली का था या नहीं। यह स्वीकार करता है कि आरक्षक मनोज ने बताया था कि वे जब उक्त व्यक्ति को लैट्रिंग के लिए लॉकप से निकाल कर ले जा रहे थे, तब वह धक्का मारकर भाग गया था। साक्षी इस सुझाव से इंकार करता है कि वह मनोज के साथ कस्बा भी नहीं गया। यद्यपि साक्षी अभियुक्त को पहली बार न्यायालय में देखना बताता है। इस साक्षी की अभिसाक्ष्य को पक्षद्रोही घोषित किए जाने से जितना मामला अभियोजन के मामले को समर्थित करता है वह सुसंगत है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य एआईआर 1991 एससी-1853 : 1991 सीआरएलजे 2653 अवलोकनीय है।

10. प्रकरण में शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त के न्यायालय में समर्पण करने पर उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 06 तैयार किया गया था, जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में साक्षी शिवदत्त शर्मा अ0सा0 04 के इस कथन को कोई चुनौती भी नहीं दी गई कि उन्होंने प्र0पी0 06 की गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार दिनांक 10.12.10 को अभियुक्त को गोहद न्यायालय परिसर से गिरफ्तार नहीं किया गया था। साथ ही अभियुक्त ने द0प्र0सं0 की धारा 313 के परीक्षण में प्र0पी0 06 की गिरफ्तारी को स्वीकार किया है। ऐसे में अभियोजन के द्वारा यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि अभियुक्त को प्रकरण के अपराध क्रमांक 145/10 में विधिवत् दिनांक 10.12.2010 को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में यह तथ्य सुसंगत साक्ष्य से भलिभांति समर्थित है कि दिनांक 10.12.2010 को अभियुक्त को, जो कि दिनांक 06.12.2010 को अपराध क्रमांक 131/10 में गिरफ्तार किया गया था, उसे स्वयं समर्पित होने पर उक्त दिनांक को गिरफ्तार किया गया।

11. प्रकरण में जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 02 के द्वारा इस प्रकरण की प्राथमिकी को लेख किया गया और प्राथमिकी प्र0पी0 02 पर ए से ए भाग व बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित कर विवेचना हेतु प्रकरण प्रधान आरक्षक शिवदत्त शर्मा को सौंपे जाने के संबंध में कथन किया है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 02 घटना के चछुदर्शी साक्षी नहीं हैं और उनके द्वारा स्वयं की जानकारी के आधार पर प्राथमिकी लेख किया जाना बताया है, जबकि उसमें उल्लेखित तथ्य के संबंध में साक्षी आरक्षक मनोज प्रधान आरक्षक



लालजी त्रिपाठी तथा जगदीश स्वीपर सर्वोत्तम साक्षी हो सकते थे, उनके द्वारा अपराध की सूचना दर्ज नहीं कराई गई। ऐसे में प्रकरण में पुलिस कार्यवाही का दोषपूर्ण होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से दिए गए इस तर्क के संबंध में स्पष्ट विधि है कि किसी अपराध की प्राथमिकी स्वयं सारवान नहीं है और वह मामले के अन्वेषण अथवा जांच के संबंध में गति प्रदान करने का सुसंगत कारक हो सकती है। थाना प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी प्राप्त होने की दशा में प्राथमिकी लेख की जा सकती है। प्रकरण में जुमनानी अ०सा० 2 द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर अपराध क्रमांक प्र०पी० 02 लेख किए जाना बताया है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत Lalita Kumari v. Govt. of U. P and Ors AIR 2014 SUPREME COURT 187: (2014) 2 SCC 1** अवलोकनीय है, जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि -

Para 87. The Code contemplates two kinds of FIRs. The duly signed FIR under Section 154(1) is by the informant to the concerned officer at the police station. The second kind of FIR could be which is registered by the police itself on any information received or other than by way of an informant [Section 157(1)] and even this information has to be duly recorded and the copy should be sent to the Magistrate forthwith. ऐसे में प्र०पी० 02 की प्राथमिकी न तो संदिग्ध हो जाती है और न ही उसके संबंध में कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसे में उसे झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाए, बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को एक साधारण साक्षी की भांति परीक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब तक अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है, तब तक पुलिस साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में **न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217** में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। **न्यायनिर्णय- नाथूसिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य ए आई आर 1973 एस सी 2783** में यह व्यक्त किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी के कथनों को विश्वसीय मानने के लिये दूसरे गवाहों का उससे समर्थन आवश्यक है। **न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्ताया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943**

तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

13. प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरक्षक मनोज अ0सा0 01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह तर्क स्वीकार किया गया है कि जब किसी अभिरक्षा अधीन व्यक्ति को लॉकअप से निकला जाता है तो दूसरा व्यक्ति सशस्त्र अवस्था में दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त को बिना हथकड़ी लगाए लॉकअप से बाहर निकाला एवं पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ऐसे में यदि मान भी लिया जाए कि अभियुक्त अभिरक्षा से भागा तो स्वयं पुलिस कर्मचारी द्वारा विधि का पालन न करते हुए उसे निकल भागने का मौका दिया। अभियुक्त का अपराध प्रमाणित नहीं है, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में मनोज अ0सा0 01 की प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 अवलोकनीय है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि “ मैं थाने से उत्तर दिशा की ओर 10 कदम निकल पाया था, तब ही मैंने आरोपी का हाथ छोड़ दिया था, स्वतः कहा कि मेरा हाथ छुड़ाकर धक्का देकर भाग गया था। जब आरोपी का हाथ छूट गया था, तब मैं चिल्लाया था” तथा “ मैंने सबसे पहले आरोपी को थाने के गेट पर देखा था, उस समय मुझ में और आरोपी में 04 कदम का अंतराल था”। “ इसके अतिरिक्त लालजी त्रिपाठी ने मेरे साथ चलकर आरोपी को पकड़ने का किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया”। कंडिका 04 में यह कथन किया “ लालजी त्रिपाठी उसे वापस आने पर थाने पर ही मिले थे, लालजी त्रिपाठी कौन-कौन सी गली में गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लालजी त्रिपाठी के साथ नहीं गया था”।

14. प्रकरण में इस प्रकार से साक्षी मनोज अ0सा0 01 के कथन से उसके आचरण के संबंध में अवश्य संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उसके द्वारा अभिरक्षा से भागने से निवारण करने का कोई प्रयास किया था अथवा नहीं, किंतु इस तथ्य के बावजूद भी ऐसा मान लिया जाए कि आरक्षक मनोज अ0सा0 01 ने अभियुक्त को विधिवतपूर्ण अभिरक्षा से निकल कर भागने में कोई अवरोध कारित नहीं किया तो आरक्षक मनोज अ0सा0 1 संहिता की धारा 223 के अधीन दाण्डिक अभियोजन का भागी हो सकता था एवं विभागीय कार्यवाही का भी उत्तरदायी हो सकता था। किन्तु इस तर्क से भी अभियुक्त का उसके विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागने का तथ्य, जो उपरोक्त विवचना में प्रमाणित है, खंडित नहीं हो जाता है। अभियोजन या उसके किसी साक्षी की त्रुटि का लाभ अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य के संबंध

में दिया जाना अभिरक्षा अधीन व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान किए जाने का हो सकता है। अतः अभियुक्त का विधिवतपूर्ण अभिरक्षा से भागने का तथ्य अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के सारवान परिस्थितियों के समर्थन के आधार पर प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 224 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्त के प्रतिभूति एवं स्वीय बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जाए।

16. अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य व उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अभियुक्त का कृत्य संहिता की धारा 224 के अधीन प्रमाणित पाया गया है जो कि दो वर्ष तक की किसी भाँति के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त की पूर्व की दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं। उसका ग्रामीण परिवेश का लगभग 50 वर्षीय कृषक होने का तथ्य अभिलेख पर दर्शित किया है। अभियुक्त दिनांक 10.12.10 से दिनांक 31.01.11 तक अभिरक्षा में भी रहा है, यह तथ्य भी दण्ड के निर्धारण में ध्यान रखने योग्य है। अभियुक्त लगभग 06-07 वर्ष से विचारण का सामना कर रहा है। साथ ही उसका कृत्य न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाला कृत्य है। ऐसे में उसे शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है।

17. अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 224 के अधीन अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि के समान कारावास के दण्ड से तथा दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दो माह का कारावास भुगताया जावे।

18. जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

19. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश